

कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ छत्तीसगढ़

इन्द्रावती भवन, ब्लॉक-एक, तृतीय तल, नया रायपुर

क्रमांक/प.क.-8798/20.02.1980/ 2350/17

नया रायपुर, दिनांक 23/2/18

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव

प्रगतिशील शिक्षा समिति, भिलाई

एच-18/सी, मरोदा सेक्टर, भिलाई नगर

जिला-दुर्ग।

विषय:-छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधन-1998) की धारा-29 के अधीन कार्यकारिणी की प्रमाणित प्रतिलिपि बाबत।

संदर्भ:-आपका पत्र/जानकारी प्राप्त दिनांक 03.02.2018

—00—

संस्था प्रगतिशील शिक्षा समिति, भिलाई, जिला-दुर्ग, पंजीयन क्रमांक-8798, दिनांक 20.02.1980 के द्वारा छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 (संशोधित 1998) के तहत पंजीकृत है, जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रभावशील होते हैं।

संस्था द्वारा दिनांक 22.03.2017 को आयोजित आमसभा के बैठक की जानकारी नियत प्रपत्र पर इस कार्यालय में दिनांक 03.02.2018 को फायलिंग शुल्क रूपये 2000/-चालान क्रमांक-29983350, दिनांक 02.02.2018, दुर्ग एवं रूपये 2000/-चालान क्रमांक-61151575, दिनांक 05.02.2018, रायपुर द्वारा जमा कर प्रस्तुत करते हुए सूची प्रदाय करने हेतु धारा-29 के अधीन रूपये 40/-, चालान क्रमांक-296902234, दिनांक 02.02.2018, दुर्ग में जमा कर प्रस्तुत किया गया है।

अतः संस्था द्वारा प्रस्तुत सूची को धारा-27 के अधीन दिनांक 07.02.2018 को रिकार्ड पर लिया गया है। जिसमें कार्यकारिणी पदाधिकारियों/सदस्यों के निम्नानुसार नामों का उल्लेख किया गया है :-

क्रमांक	पदाधिकारी का नाम	पदनाम
01	श्री एच.पी.सिंह	अध्यक्ष
02	श्री हरजीत सिंह	उपाध्यक्ष
03	श्रीमति शकुंतला यादव	सचिव
04	श्रीमति अमरीक कौर	कोषाध्यक्ष
05	श्री मनोज नायर	सहसचिव
06	श्र जोगराज सिंह	सदस्य
07	श्री चरणजीत सिंह	सदस्य

अतः एतद द्वारा आज दिनांक 07.02.2018 को प्रमाणित प्रतिलिपि जारी की जाती है।

(डी.डी.महत) 23/2/18

डिप्टी रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ, छत्तीसगढ़